न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

1– जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1029 सन 2026

(CNR No. UPFT–010026532026)

योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन पुत्र रामबाबू गुपता निवासी मोहल्ला देवीगंज थाना राधानगर जनपद फतेहपुर।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 431 सन 2025

धारा: 305, 331, 317(2) एवं 112 भारतीय न्याय संहिता

थाना: खागा, जनपद फतेहपुर।

एवम्

2– जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1047 सन 2026

(CNR No. UPFT-010026992026)

ऋषभ यादव पुत्र विजेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू यादव निवासी मोहल्ला देवीगंज थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उ0प्र0।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 431 सन 2025

धारा: 305, 331, 317(2) एवं 112 भारतीय न्याय संहिता

थाना: खागा, जनपद फतेहपुर।

11.06.2026 :

आवेदक/अभियुक्तगण योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन व ऋषभ यादव की ओर से पृथक पृथक उक्त दोनों प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 431 सन 2025 अन्तर्गत धारा 305, 331, 317(2), 112 भारतीय न्याय संहिता थाना खागा जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि उक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध की घटना एवं एक ही मुकदमा अपराध संख्या व फर्द बरामदगी से सम्बन्धित हैं, अत: न्याय एवं सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण संयुक्त रूप से एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से क्रमश: रिंकी व रमन यादव द्वारा अलग अलग इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा विनय कुमार सोनी ने दिनांक 22.10.2025 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी कि वह सपरिवार दिनांक 21.10.2025 को घर में ताला बंद करके चित्रकूट घूमने गया था, वापस आने के बाद दिनांक 22.10.2025 को शाम 7:00 बजे उसने देखा तो उसके घर के छत के पीछे के दरवाजे का ताला टूटा है, कमरे के अन्दर सामान बिखरा पड़ा है, अलमारी से अज्ञात चोरों द्वारा सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी चुरा ले गये है। चोरी गये आभूषण व नगदी की सूची बाद में उपलब्ध करा देगा।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है। कथित घटना की प्राथमिकी दिनांक 22.10.2025 को अज्ञात में दर्ज करायी गयी और थाना राधानगर की पुलिस द्वारा आवेदक को दिनांक 25.05.2026 को मुकदमा अपराध संख्या 87 सन 2026 में गिरफ्तार कर उसी फर्द में आवेदक का नाम इस प्रकरण में बढ़ाया गया है और उक्त प्रकरण में आवेदक की जमानत अवर न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 25.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

आवेदक/अभियुक्त ऋषभ यादव के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। कथित घटना को वादी या किसी अन्य ने देखा नहीं है। प्राथमिकी में चोरी गये सामान का कोई विवरण दर्शित नहीं है। आवेदक को पुलिस घर से ले गयी और फर्जी चालान कर दिया। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदक के कब्जे से कोई बरामदगी दर्शित नहीं की गयी है। आवेदक के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है, कथित बरामदगी फर्जी है। आवेदक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति नहीं है और वह दिनांक 25.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्तगण यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है किन्तु दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। दौरान विवेचना थाना राधानगर जनपद फतेहपुर की पुलिस द्वारा दिनांक 24.05.2026 को आवेदक/अभियुक्तगण ऋषभ यादव व योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन को सह अभियुक्त सलीम उर्फ सलमान उर्फ राजू के साथ गिरफ्तार किया गया एवं एक अभियुक्त कमल जोशी मौके से भागने में सफल रहा तथा आवेदक/ अभियुक्त ऋषभ यादव के कब्जे से मु0 15,000/– रूपये व मोबाइल, आवेदक/अभियुक्त योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन के कब्जे से मु0 1,150/– रूपये व फोन तथा एक पालीथीन से पीली धातु का लाकेट की माला, सफेद धातु के दो हाय, एक पीलीधातु की हाय, सफेद धातु की दस जोड़ी बिछिया, एक चाबी का गुच्छा सफेद धातु, पायल दो जोड़ी सफेद धातु, बच्चे के पैर का कड़ा दो अदद, बच्चे के हाथ का कड़ा दो अदद, पीली धातु की सलाई एक अद बरामद किया और उक्त बरामदशुदा जेवरात चोरी के थे तथा बरामदशुदा रूपये इस प्रकरण में वादी के चोरी गये जेवरात को बेंचने से प्राप्त रूपयों में बच्चे हुए रूपये है। अब तक की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/ अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होंने सह अभियुक्तगण के साथ वादी मुकदमा के घर से जेवरात व रूपये चोरी किया। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्राथमिकी विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्तगण सहित सह अभियुक्तगण के कब्जे से जेवरात, रूपये आदि बरामद होना तथा उक्त बरामदशुदा रूपये प्रस्तुत प्रकरण के वादी के घर से चोरी गये जेवरात को बेंचने से प्राप्त रूपये होना बताया जाता है किन्तु अभिकथित बरामदगी का

कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास होना बताया गया है, किन्तु उन्हें किसी मामले में दोषसिद्ध किया जाना नहीं बताया गया है जबकि आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का कथन है कि उक्त प्रकरण इसी फर्द बरामदगी से सम्बन्धित है तथा उसमें आवेदक/अभियुक्तगण की जमानत अवर न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्तगण पर अभिकथित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 25.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में आवेदक/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन व ऋषभ यादव की ओर से अपराध उपरोक्त में प्रस्तुत उक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते है। आवेदक/अभियुक्तगण को उनके, प्रत्येक द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त विवेचना व विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी अभियोजन साक्ष्य को दबाव में लेने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्य से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रभावित करेगा।

6. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा और धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान के समय स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

7. आवेदक/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक माह की दो तारीख को सम्बन्धित थाने में हाजिरी देगा।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी अधिकारी को अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1047 सन 2026 ऋषभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की पत्रावली पर रखी जाय।

दिनांक: 11.06.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.06.12 12:48:46 +05'30'